भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2602
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

सोने और चांदी की हॉलमार्किंग

2602. श्री राघव चड्ढा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले दो वर्षों में अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत वर्ष-वार शामिल किए गए जिलों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) देश में कार्यरत हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा हॉलमार्किंग के संबंध में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): सरकार ने 23 जून, 2021 को देश के 256 ज़िलों में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की, जिसमें भारतीय मानक आईएस 1417:2016 के अनुसार 14, 18 और 22 कैरेट ग्रेड के स्वर्ण आभूषण/कलाकृतियां शामिल हैं।

तत्पश्चात, अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के चार अतिरिक्त ग्रेड, जैसे 9, 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल कर लिया गया है और वर्तमान में यह देश भर के 392 जिलों में लागू है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद से, 31 जुलाई 2026 तक 65 करोड़ से अधिक स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) की जा चुकी है। इसी अवधि के दौरान, बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 43,153 से बढ़कर 2,29,590 हो गई है, जबकि बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) की संख्या 948 से बढ़कर 1,577 हो गई है।

(ख): दिनांक 05 नवंबर, 2024 के "स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति (संशोधन) आदेश, 2024" के माध्यम से वर्ष 2024 में 18 नए जिले शामिल किए गए हैं।

दिनांक 31 जुलाई, 2025 के "स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति (संशोधन) आदेश, 2025" के माध्यम से वर्ष 2025 में 12 नए जिले शामिल किए गए हैं।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 के अनुसार, अनिवार्य स्वर्ण हॉलमार्किंग के अंतर्गत कुल 392 जिले शामिल हैं।

(ग): देश में कार्यरत हॉलमार्किंग केंद्रों की राज्यवार संख्या का ब्यैरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): बीआईएस के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को हॉलमार्किंग स्कीम के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में अनिवार्य प्रमाणन के तहत मानकों पर जागरूकता कार्यक्रम, हॉलमार्किंग और ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। 01 अप्रैल, 2026 से 31 जुलाई, 2026 के बीच बीआईएस के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा पूरे देश में कुल 836 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें हॉलमार्किंग पर जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल थे।

बीआईएस द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या
2024-25	514
2025-26	637
2026-27 (31.07.2026 तक)	836

ये कार्यक्रम उपभोक्ताओं को बीआईएस हॉलमार्किंग स्कीम, हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने के लाभों के बारे में सूचित करने और बीआईएस मानक चिह्न के संभावित दुरुपयोग तथा बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित हैं।

अनुलग्नक

"सोने और चांदी की हॉलमार्किंग" के संबंध में श्री राघव चड्ढा के द्वारा दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2602 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में कार्यरत हॉलमार्किंग केंद्रों की राज्यवार संख्या का ब्यैरा इस प्रकार है:

राज्य	**एएचसी की संख्या**
आंध्र प्रदेश	56
असम	13
बिहार	55
चंडीगढ़	6
छत्तीसगढ	15
दिल्ली	42
गोवा	3
गुजरात	147
हरियाणा	35
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	11
झारखंड	16
कर्नाटक	79
केरल	95
मध्य प्रदेश	47
महाराष्ट्र	220
ओडिशा	28
पांडिचेरी	4
पंजाब	44
राजस्थान	104
तमिलनाडु	171
तेलंगाना	42
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	110
उत्तराखंड	15
पश्चिम बंगाल	212
समग्र कुल	**1577**
